न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः— अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
02/2023	20.12.2023	31.05.2024

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी प्रभू उम्र 55 साल जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

——प्रार्थी

बनाम

1. बाबू पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. श्याम पि0 पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. लखन पि0 पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. लेखराज पि0 पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला स0मा0

——अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र

(प्रार्थना पत्र आदेश 39 रूल 2 सीपीसी)

उपस्थितिः— श्री जगन्नाथ चौधरी एड0 प्रार्थी की और से

अप्रार्थीगण की और से एक पक्षीय कार्यवाही

:—निर्णय—:

प्रार्थीया श्रीमती प्रेम देवी पत्नी प्रभू उम्र 55 साल जाति मीना निवासी ग्राम निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्थान ने जरिये अधिवक्ता श्री जगन्नाथ चौधरी ने एक प्रार्थना पत्र अवमानना का पेश किया है जिसका संक्षेप विवरण इस प्रकार है किप्रार्थीया ग्राम निनोनी की रहने वाली काश्तकार पेशा महिला है। अप्रार्थीगण 1 लगायात 3 भी निनोनी के रहने वाले है। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.89 हैक0 व खसरा नम्बर 129 रकबा 36 ऐयर व खसरा नम्बर 115 रकबा 65 ऐयर वाके ग्राम निनोनी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हैं। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीया ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा 08/2019 उनवानी प्रेमदेवी बनाम मीठ्या वगैरा श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 12.03.2020 को पारित कर डिक्री जारी की थी कि प्रतिवादीगण मीठ्या वगैरा व अन्य ज[illegible]त 2073–76 के खाता संख्या 102 कुल किता 8 कुल रकबा 4.24 हैक्टर सम्पूर्ण [illegible] व खाता संख्या 103 खसरा नम्बर 131 / 532 रकबा 0.20 हैक्टर [illegible] रकबा 0.55 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.75 को वादिया की 1/2 हिस्सा इस [illegible]कार जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102 के सम्पूर्ण भाग व खाता संख्या 103 का 1/2 भाग पर समस्त प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे तथा उनको स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गयां। उक्त विवादित भूमि में वादिया के स्वामित्व एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.09.10 12:31:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आधिपत्य की अराजीयात पर स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा मजाहमत व मदाखलत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया निर्णय की असल प्रति व डिक्री फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। दिनांक 12.02.2020 को खसरा नम्बर 128 व 129 व 115 रकबे में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बाबजूद भी अप्रार्थीगण बाबू श्याना पिसरान पन्ना लखन व लेखराज जाति मीना निवासीयान निनोनी ने दिनांक 10.10.2023 को जबरदस्ती खसरा नम्बर 128 व 129 की 1 बीघा जमीन में खम्भे गाड़कर तार फेसिंग कर दी व खसरा नम्बर 115 रकबा 65 ऐयर में जबरदस्ती पड़ाव कर दिया उनको इस बात का प्रार्थीया ने उलाहना दिया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ मारपीट करने में आमादा हो गये। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने थाना कुण्डेरा में भी उपके वाके की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इन सबके बावजूद अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 लगातार श्रीमान् के आदेश के बावजूद श्रीमान् के आदेश की खले आम धज्जियां उड़ाकर माने मजाहमत खुले रूप से खुले रूप में माननीय अदालत के आदेश की अवेज्ञा व अवहेलना जानबूझकर कर रहे है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवहेलना करने के कारण अप्रार्थीगण को 3 माह का सिविल कारावास तथा उनकी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क कर राज्य सरकार के कब्जे में लेने के आदेश प्रदान करें साथ ही अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के बाबजूद खसरा नम्बर 128 व 129 के रकबे में जबरदस्ती खम्भे गाडकर तार फेन्सिंग की है व खसरा नम्बर 115 रकबा 6.5 ऐयर पर पड़ाव करने के कारण उनकों पुलिस इमदाद से हटवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। अप्रार्थीगण तामिल होने के बाबजूद उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने साक्ष्य में प्रदर्श–1 इस न्यायालय के उनवानी प्रकरण श्रीमती प्रेम बनाम मीठया वगै० मु०न० 08/2019 की प्रमाणित प्रति एवं प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–3 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के उनवानी प्रकरण सरकार जरिये थानाधिकारी कुण्डेरा बनाम बाबूलाल मीना, कि०मु० 107, 116(3) सीआरपीसी मु०न० 781/2023 की आर्डर शीट एवं इस्तागासा की प्रमाणित प्रति पेश की है। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने साक्ष्य में श्रीमती प्रेम देवी पत्नी बाबू के बयान दर्ज करवाये। खसरा नम्बर 129 रकबा 36 हेक्टर व खसरा नम्बर 115 रकबा 65 हेक्टर ग्राम निनोनी में स्थित है। मैने उक्त अराजीयात बाबत् एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 8 / 2019 उनवानी प्रेम देवी बनाम मिठ्या वर्ग श्रीमान् के में किया है, जिसका निर्णय दिनांक 12.02.2020 को पारित कर डिक्री जारी की, प्रतिवादीगण मिठ्या वगै जनाबंदी सम्वत 2073–73 के खाता खंड 102 कुल किता 8 कुल रकबा 4.24 हेक्टर सम्पूर्ण हिस्सा खाता संख्या 103 खसरा नम्बर 131 / 530 रकबा 0.2 हेक्टर खसरा नम्बर 432 रकबा 0.55 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 0.75 को बादी का [illegible] हिस्सा इस प्रकार जमाबंदी सम्बत 2073–76 के खाता 102 के सम्पूर्ण भाग एवं खाता संख्या 103 का 1/2 भाग प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत व व्यवधान पैदा नहीं करनके लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया. निर्णय की असल [illegible] डिक्री की सत्यप्रतिलिपि निर्णय की फोटो कॉपी, दिनांक 12.02.2020 खाता नम्बर 128 व 129 व 115 स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बावजूद बाबू श्यामा, लखन, लेखराज ने दिनांक 10.10.2023 को जबरदस्ती खसरा नम्बर 128 129 एक बीघा जमीन में खम्भे गाड़कर तार फेसिंग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.09.10 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

दी। खसरा नम्बर 115 रकबा 65 हेक्टर में जमाबंदी पड़ाव कर दिया। इस बात का उलाहना देने पर मारपीट के लिए उतारू हो गये। इस बात की रिपोर्ट कुण्डेरा थाना में कर दी है। इसके बावजूद ये अदालत के निर्णय की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे है। खुले रूप से खुले रूप में माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जानबूझकर कर रहे है। इसलिए इनको 3 माह की सिविल कारावास की सजा व उनकी चल–अचल सम्पति को कुर्क करके राजसम्पति में लेने के आदेश करें साथ ही अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंदी के बावजूद खसरा नम्बर 128, 128 रकबे में जबरदस्ती खम्भे गाड़कर तार फेसिंग की है। उनकों पुलिस इमदाद से हटाये जाये। भविष्य में खसरा नम्बर 115 में पड़ाव नहीं करने व कब्जा हटाने के आदेश प्रदान करें। मैन 13.02.2023 का माननीय मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा विपक्षीगण को 6 माह की शांति बनाये रखने के लिए 20–20 हजार मुचलके से पाबंदी के बाबजूद अप्रार्थीगण अमाजत कर रहे है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए बताया है कि अप्रार्थीगण 1 लगायात 3 भी निनोनी के रहने वाले है। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.89 हैक्0 व खसरा नम्बर 129 रकबा 36 ऐयर व खसरा नम्बर 115 रकबा 65 ऐयर वाके ग्राम निनोनी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हैं। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीया ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा 08/2019 उनवानी प्रेमदेवी बनाम मीठ्या वगैरा श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 12.02.2020 को पारित कर डिक्री जारी की थी कि प्रतिवादीगण मीठ्या वगैरा व अन्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102 कुल किता 8 कुल रकबा 4.24 हेक्टर सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 103 खसरा नम्बर 131 / 532 रकबा 0.20 हेक्टर खसरा नम्बर 432 रकबा 0.55 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 0.75 को वादिया का 1/2 हिस्सा इस प्रकार जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102 के सम्पूर्ण भाग व खाता संख्या 103 का 1/2 भाग पर समस्त प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे तथा उनको स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण बाबू श्याना पिसरान पन्ना लखन व लेखराज जाति मीना निवासीयान निनोनी ने दिनांक 10.10.2023 को जबरदस्ती खसरा नम्बर 128 व 129 की 1 बीघा जमीन में खम्भे गाड़कर तार फेसिंग कर दी व खसरा नम्बर 115 रकबा 65 ऐयर में जबरदस्ती पड़ाव कर दिया उनको इस बात का प्रार्थीया ने उलाहना दिया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ मारपीट करने में आमादा हो गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवहेलना करने के कारण अप्रार्थीगण को 3 माह का सिविल कारावास तथा उनकी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क कर राज्य सरकार के कब्जे में लेने के आदेश प्रदान करें साथ ही अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के बाबजूद खसरा नम्बर 128 व 129 के रकबे में जबरदस्ती खम्भे गाडकर तार फेन्सिंग की है व खसरा नम्बर 115 रकबा 6.5 ऐयर पर पड़ाव करने के कारण उनको पुलिस इमदाद से हटाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.09.10 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवहेलना करने के कारण पेश किया है। इस न्यायालय के उनवानी प्रकरण श्रीमती प्रेम बनाम मीठया वगै0 मु0न0 08/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2020 में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

Scanned with OKEN Scanner

किया गया था। किन्तु प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–3 जो न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के उनवानी प्रकरण सरकार जरिये थानाधिकारी कुण्डेरा बनाम बाबू वगै0 मु0न0 781/2023 की ऑर्डर शीट एवं इस्तगासा की प्रति है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2020 की अवहेलना की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– क्रियात्मक आदेश–:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। थानाधिकारी कुण्डेरा सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय मुकदमा 08/2019 उनवानी प्रेमदेवी बनाम मीठ्या वगैरा श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 12.02.2020 की पूर्ण पालना करवायी जावे अप्रार्थीगण को अन्तिम हिदायत दी जाती है ~~पालिस~~ पूर्व निर्णय की पालना की जावे। यदि अप्रार्थीगण पुनः उक्त निर्णय की पालना नही करते है तो न्यायालय द्वारा 3 दिवस का सिविल कारावास का आदेश सुरक्षित रखा जाता है। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति थानाधिकारी कुण्डेरा जिला सवाई माधोपुर को भिजवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनिल कुमार चौधरी)
सहायक जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.09.10 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर

क्रमांकःआर0ए0/24/94 दिनांकः 30/8/24

आदेश

श्रीमति प्रेम पत्नी प्रभु जाति मीना निवासी निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में शुद्धिकरण बाबत निर्णय दिनांक 31.05.2024 बाबत पेश किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीया ने श्रीमान के न्यायालय में एक अवमानना का प्रकरण मु0न0 02/2023 दर्ज कराया था जिसका निर्णय श्रीमान ने दिनांक 31.05.2024 को सुनाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने बाबू पुत्र श्री पन्ना, श्यामा पुत्र पन्ना, लखन पुत्र श्यामा, लेखराज पुत्र बाबू जाति मीना निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व दर्ज कराया था लेकिन आदेश में लखन पुत्र पन्ना, लेखराज पुत्र पन्ना टाईप कर दिया जबकि लखन पुत्र पुत्र श्यामा व लेखराज पुत्र बाबू अंकित होना चाहिए था।

उक्त प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सही प्रतीत होता है। इस न्यायालय में सहवन से निर्णय के प्रथम पेज पर अप्रार्थीगण 3 एवं 4 के पिसरान का नाम पन्ना अंकित हो गया है जो गलत है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल निर्णय के प्रथम पेज पर अप्रार्थी संख्या 3 लखन पुत्र श्यामा एवं अप्रार्थी संख्या 4 लेखराज पुत्र बाबु किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त आदेश निर्णय का अंश रहेगा जो मूल निर्णय के साथ संलग्न रहेगा।

सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांक 30/8/24

क्रमांक /सम/2024/ 95-97
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. राजस्व लिपीक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति मूल आदेश के साथ संलग्न की जावे।
2. श्रीमति प्रेम पत्नी प्रभु जाति मीना निवासी निनोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.09.10 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner